तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व ता[illegible] अहकाम जो[illegible] हुक्म की ता[illegible] जारी हु[illegible]
26.09.2025	वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण मे अन्तिम निर्णय हेतु बहस सुने एक माह से भी अधिक का समय हो चुका है। अतः ऐसी स्थिति मे वादपत्र में अन्तिम निर्णय किये जाने हेतु वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस पुनः सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादपत्र में अन्तिम डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री पत्रावली दिनांक 03.10.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
03.10.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में समय अभाव के कारण निर्णय नहीं सुनाया जा सका। वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री पत्रावली दिनांक 17.10.2025 को पेश हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	
17.10.2025	पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश अन्तिम डिक्री हेतु पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकील वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बावत तकारस्मा एंव स्थायी निषेधाज्ञा न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। तदनुसार [illegible] अन्तिम डिक्री जारी हो। इसी अनुसार [illegible] रिकार्ड [illegible] किया जावें। विस्तृत निर्णय मेरे द्वारा पृथक से [illegible] जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (अनिल कुमार) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:24:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान
पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
97 / 2014	2014 / 167	15.04.2014	17.10.2025 (अंतिम डिक्री)

उनवान प्रकरण

1. मालीराम पुत्र सुवा आयु 65 वर्ष
2. **मुक्तिराम पुत्र सुवा आयु** 58 वर्ष (मृतक)

   2/1 जसवन्त पुत्र मुक्तिराम उर्फ मुक्तिलाल आयु 34 वर्ष

   2/2 गोपाललाल पुत्र मुक्तिराम उर्फ मुक्तिलाल आयु 29 वर्ष

   जाति धोबी निवासीगण महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

   2/3 श्रीमती मंजू पुत्री मुक्तिराम उर्फ मुक्तिलाल पत्नी बजरंगलाल आयु 30 वर्ष जाति धोबी निवासी महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हाल निवासी खारड़िया जिला नागौर।

   2/4 श्रीमती सोनी पुत्री मुक्तिराम उर्फ मुक्तिलाल पत्नी श्रवण कुमार आयु 27 वर्ष जाति धोबी निवासी महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान हाल निवासी खारड़िया जिला नागौर।

   2/5 अनिता पुत्री मुक्तिराम उर्फ मुक्तिलाल आयु 21 वर्ष, जाति धोबी निवासी महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

   2/6 रूकमणी पुत्री मुक्तिराम उर्फ मुक्तिलाल आयु 16 साल नाबालिग जरिये प्राकृतिक सरंक्षक बड़ा भाई जसवन्त पुत्र मुक्तिराम उर्फ मुक्तिलाल जाति धोबी निवासी महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
3. गोविन्दराम पुत्र सुवा आयु 45 वर्ष

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:24:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

समस्त जाति धोबी निवासीगण तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

— वादीगण—

बनाम्

1. सुशीला देवी बेवा भगवाना आयु 60 वर्ष
2. लोकेश कुमार पुत्र भगवाना आयु 27 वर्ष
3. मोतीलाल पुत्र भगवाना आयु 25 वर्ष
4. हनुमान पुत्र नाथू आयु 60 वर्ष
5. गजानन्द पुत्र मोहन आयु 50 वर्ष
6. कैलाश पुत्र मोहन आयु 48 वर्ष
7. औमप्रकाश पुत्र मोहन आयु 46 वर्ष
8. सुरेश पुत्र मोहन आयु 44 साल
9. रामावतार पुत्र मोहन आयु 40 वर्ष
10. हरफूल पुत्र मोहन आयु 38 वर्ष
11. तीजा बेवा मोहन आयु 70 वर्ष

समस्त जाति धोवी निवासीगण तन् ग्राम महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

12. उप पंजीयक, तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
13. पटवारी हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर
14. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0
15. मैनेजर, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

— प्रतिवादीगण —

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:24:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपस्थितः–

श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, एड0 वादीगण अभिभाषक।
श्री रामजीलाल सैनी, एड प्रतिवादीगण संख्या–1 लगायत 11 की ओर से अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या 14 की ओर से

<u>दावा बाबत तकासमा एंव स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 53, 188</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u>

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3231, 3232 कुल किता 9 कुल रकबा 8.79 हैक्टर तन् ग्राम महरोली पटवार हल्का महरोली तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित होकर 1/2 हिस्से पर वादीगण काबिज काश्त है तथा 1/6 हिस्सा के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 व हिस्सा 1/6 का प्रतिवादी संख्या 4 व हिस्सा 1/6 की खातेदारी प्रतिवादीगण नम्बर 5 लगायत 11 के नाम से अंकित होकर काबिज खातेदार काश्तकार हैं। उक्त वर्णित भूमि की खातेदारी वादीगण एवं प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 11 के नाम संयुक्त रूप से दर्ज होकर अभी तक विधिक विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण अपने हक हिस्सा व खातेदारी कब्जा काश्त की 1/2 हिस्सा की भूमि पर पूर्णतः काबिज काश्त चले आ रहे है। भूमि खसरा नम्बर 3215 में वादी गोविन्दराम ने ट्यूबवैल व कुंआ मय विद्युत पम्पिंग सैट लगा रखा है तथा पुख्ता मकानात् बना रखे है। खसरा नम्बर 3220 में वादी मालीराम व मुक्तिराम ने ट्यूबवैल मय विद्युत पम्पिंग सैट लगा रखा है तथा खसरा नम्बर 3218 मे पुख्ता मकान वादी मालीराम के बने हुए है तथा खसरा नम्बर 3232 में पुख्ता मकानात् वादी मुक्तिराम के बने [illegible] रिहायश करते आ रहे है। वादीगण अपने हक हिस्सा व [illegible] भूमि पर मौके पर 1/2 भाग

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:24:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

पर काबिज काश्त चले आ रहे है [illegible] कायम कर रखी है तथा अपनी भूमि मे गेहू, सरसों, मैथी, जौ, प्याज, लहसुन की फसल काश्त कर रखी है परन्तु प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 ने एक नाजायज गिरोह बना रखा है। जो संयुक्त खातेदारी की आड मे वादीगण के हक हिस्सा व कब्जा [illegible] भूमि पर जबरन मनमर्जी से बलात कब्जा करना चाहते है तथा भूमि को [illegible] तकास्मा करवाये बिगर को विक्रय रहन अन्तरण करना चाहते है तथा भूमि पर [illegible] खातेदारी की आड मे मनमर्जी से मनचाही जगह पर वादीगण के हक हिस्सा [illegible] व खातेदारी भूमि पर दीगर भू माफिया गिरोह का बलात कब्जा करवाना [illegible] जिसका प्रतिवादीगण को कोई अधिकार किसी किस्म का नहीं है। इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है तथा वादीगण [illegible] का विधिक तकास्मा करवाकर अपने हक हिस्सा खातेदारी व कब्जा [illegible] की भूमि का खाता अलग से दर्ज करवाने व अलग से लगान [illegible] का अधिकारी है। प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 11 ने अर्सा 10 रोज पूर्व वादीगण को धमकी दी है कि भूमि का विधिक तकास्मा कराये बिगर को विक्रय रहन [illegible] तथा दीगर भू माफिया गिरोह का बलात कब्जा मनमर्जी से मनचाही [illegible] करवाकर रहेगें तथा भूमि को खुर्द बुर्द करके रहेगें तथा वादीगण को [illegible] खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि से जबरन बेदखल करवाकर रहेगें [illegible] दावा पेश होने पर दावा विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश कर वादग्रस्त [illegible] का विधिक विभाजन कर अलग-अलग बट्टा नम्बर डालकर अलग-अलग [illegible] बनाया जाकर लगान कायम किया जाकर अलग-अलग के नाम [illegible] किये जाने हेतु वाद वास्ते तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा [illegible] माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

वादीगण [illegible] जाने पर वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण [illegible] की गई। जिस पर प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 की ओर से [illegible] एडवोकेट उपस्थित आये एव जवाब वादपत्र मय काग दावा [illegible] 12 लगायत 15 के सम्मन

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:24:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

नोटिस की तामील साधारण तरीके से करवाने के बावजूद उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादीगण संख्या 12 लगायत 15 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में वकील वादीगण ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के मध्य विधिक विभाजन करवाया जाकर रास्ते की सुविधा का प्रावधान कराते हुए अलग बट्टा नम्बर डालकर वादीगण व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकार्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान कायम करते हुए अलग-अलग सींव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव मँगवाये जाने बावत अपनी अपनी सहमति व्यक्त करते हुए उभय पक्षकारान् अधिवक्तागणों ने पत्रावली की आदेशिका पर अपने-अपने हस्ताक्षर अंकित करते हुए प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण में वकुलाय उभय पक्षकारान् के सहमत होने पर वादपत्र में तनकीयात कायम नही की जाकर सीधे ही उभय पक्षकारान् के राजस्व हक हिस्से में दर्ज हिस्से व कब्जे काश्त अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये जाने हेतु प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 ने प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की।

वकुलाय उभय पक्षकारान् के द्वारा प्रकरण के तकास्मा से सम्बन्धित होने से प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किये जाने पर प्रकरण वादपत्र में दिनांक 23.05.2022 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम– 18 से 21 के अनुसार एंव राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/स्था/ प–51/ 2008/विविध 10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 86/रीडर/2023 दिनांक 13.02.2023 एंव पुनः पत्रांक 717/रीडर/24 दिनांक 22.02.2024 एंव पुनः पत्रांक 368/रीडर/2024 दिनांक 16.08.2024 के द्वारा ... रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग ... तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 2838/भू.अ.

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:24:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

/2024 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष पेश की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर के मौका पर्चा रिपोर्ट को शामिल पत्रावली की गई। प्रकरण में वादी संख्या 2 के फौत होने पर वकील वादीगण ने प्रार्थना पत्र कायम मुकामी पेश किये जाने पर उपस्थित वकील प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र कायम मुकामी वादी संख्या 2 को स्वीकार किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की। जिस पर प्रार्थना पत्र कायम मुकामी वादी संख्या 2 स्वीकार किया जाकर वादी संख्या 2 के विधिक वारिसान को वादीगण संख्या 2/1 से 2/6 रिकार्ड पर लिया गया। वादीगण वकील ने संशोधित शीर्षक वादपत्र पेश किया। जो शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रतिवादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव पर प्रारम्भिक आपत्ति एतराज पेश किया। जिसका जवाब दरख्वास्त वकील वादीगण द्वारा पेश किये जाने पर प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति एतराज पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। उक्त प्रार्थना पत्र प्रारम्भिक आपत्ति एतराज को बाद सुनवाई प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव में तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा समस्त भूमियों से लगते हुए रास्ते का प्रावधान किये जाने से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आपत्ति प्रारम्भिक डिक्री को खारिज किया जाकर प्रकरण को अन्तिम बहस में रखा गया।

हमनें वकुलाय उभय पक्षकारान् की बहस ध्यानपूर्वक सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण अभिभाषक व वकील प्रतिवादीगण द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला जमाबंदी सम्वत् 2068–2071 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 रिकार्डेड सह खातेदार काश्तकार है। इस आधार पर वादीगण राजस्थान काश्तकारी अधि[illegible] के अन्तर्गत धारा 53 बंटवारा के हकदार है। चूंकि वादपत्र में प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:24:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

जवाब दावा मय कोस दावा पेश किया गया है। जिसका वकील वादीगण ने जवाब कोस दावा पेश नहीं कर कोस दावा को सीधे ही स्वीकार करते हुए पक्षकारान का बंटवारा रास्ते का प्रावधान लागू करते हुए विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मँगवाये जाने बाबत प्रकरण मे प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 23.05.2022 उभय पक्षकारान की सहमति से जारी की गई थी। इस आधार पर वादीगण काश्तकारी अधिनियम – 1955 के अन्तर्गत धारा 53 बटंवारा का हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान् अपने–अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा– 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 के प्रावधानो के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकील उभय पक्ष ने अपनी सहमती प्रकट की है। अतः वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोपित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 11 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादीगण का वाद बावत तकास्मा एंव स्थाई निषेधाज्ञा को स्वीकार किया जाकर [illegible] से डिक्री किया जाता है। इस प्रकार वादीगण एवं प्रतिवादी[illegible] अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 25.10.2024 में वर्णित

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:24:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

[illegible] विभाजन दस्तावेज [illegible] के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है—

वर्तमान जमाबन्दी के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति

क्र. स.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	खसरा नं.	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान (रू. में)
1	1. ओमप्रकाश पुत्र मोहन हिस्सा 1/42 जाति धोबी सा. देह खातेदार 2. कैलाश पुत्र मोहन हिस्सा 1/42 जाति धोबी सा. देह खातेदार राहिन बी.आर.के.जी.बी. शाखा महरोली 3. गजानन्द पुत्र मोहन जाति धोबी हिस्सा 1/42 सा. देह खातेदार 4. गोविन्दराम पुत्र सुवा जाति धोबी हिस्सा 1/6 सा. देह खातेदार 5. तीजा पत्नि मोहन जाति धोबी हिस्सा 1/42 सा. देह खातेदार 6. मुक्तिराम पुत्र सुवा जाति धोबी हिस्सा 1/6 सा. देह खातेदार 7. मालीराम पुत्र सुवा जाति धोबी	3215	1.2200	गै. मु. आबादी चाही 2	21.31
		3216	0.8800	गै.मु.चाह चाही 2	15.77
		3217	0.8500	बारानी 3	1.58
		3218	0.0500	बारानी 3	0.09
		3219	0.0100	बारानी 3	0.02
		3220	0.0400	बारानी 3	0.07
		3221	1.3200	बारानी 3	2.46
		3231	2.0100	बारानी 3	3.74
		3232	2.4100	बारानी 3	4.48

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:24:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

हिस्सा 1/6 सा. देह खातेदार 8. मोतीलाल पुत्र भगवाना जाति धोबी हिस्सा 1/18 सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/18 बैंक आफ इंडिया शाखा रींगस 9. रामावतार पुत्र मोहन जाति धोबी हिस्सा 1/42 सा. देह खातेदार 10. लोकेश कुमार पुत्र भगवाना जाति धोबी हिस्सा 1/18 सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/18 बैंक आफ इंडिया शाखा रींगस 11. सुरेश पुत्र मोहन जाति धोबी हिस्सा 1/42 सा. देह खातेदार 12. सुशीला देवी पत्नि भगवाना जाति धोबी हिस्सा 1/18 सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/18 बैंक आफ इंडिया शाखा रींगस 13. हनुमान पुत्र नाथू जाति धोबी हिस्सा 1/6 सा. देह खातेदार 14. हरफूल पुत्र मोहन जाति धोबी हिस्सा 1/42 सा. देह खातेदार					
योग खाता	किता [illegible]	[illegible]7900	---		49.5200

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:24:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाये गये मौके के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव :-

प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव

क्र.सं.	काश्तकारों के नाम मय हिस्सा	प्रस्तावित खसरा न.	रकबा (हैक्टेमें)	किस्म	लगान (रू. में)
1	ओमप्रकाश, गजानन्द, रामावतार, सुरेश, हरफूल पुत्र मोहन हिस्सा 5/7, कैलाश पुत्र मोहन हिस्सा 1/7 जाति धोबी सा. देह खातेदार राहिन बी. आर. के. जी. बी. शाखा महरोली, तीजा पत्नि मोहन हिस्सा 1/7 जाति धोबी सा. देह खातेदार	3215/2 3215/1 3216/1 3217/1	0.06 0.03 0.82 0.51	चाही–2 चाही–2 चाही–2 बारानी–3	
	योग खाता	किता – 4	1.4200	चही– 2, बारानी–3	
2	गोविन्दराम पुत्र सुवा जाति धोबी हिस्सा सम्पूर्ण सा. देह खातेदार	3215/3 3216/2 3221/2	0.7500 0.0600 0.6100	गै.मु. आबादी चाही–2 गै.मु. चाह चाही–2 बारानी–3	
	योग खाता	किता– 3	1.4200	बारानी–3	
3	हनुमान पुत्र नाथू जाति धोबी सा. देह खातेदार	3215/6 3215/4 [illegible]	0.2200 [illegible]1000 [illegible]	चाही–2 चाही–2 बारानी 3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:24:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

		3221/4	0.1000	बारानी 3	
		3221/1	0.1000	बारानी 3	
		3232/1	0.5200	बारानी 3	
	योग खाता	किता 6	1.4200	चाही 2, बारानी 3	
	मालीराम पुत्र सुवा जाति धोबी सा. देह खातेदार	3218	0.0600	बारानी 3	
		3219	0.0100	बारानी 3	
		3220	0.0400	बारानी 3	
		3221/5	0.3400	बारानी 3	
		3231/1	0.5100	बारानी 3	
		3232/2	0.4700	बारानी 3	
	योग खाता	किता 6	1.4200	बारानी 3	
5	मुक्तिराम पुत्र सुवा जाति धोबी सा देह	3232/3	1.42	बारानी 3	
6	मोतीलाल, लोकेश पुत्र भगवाना राहिन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रींगस हिस्सा 2/3, सुशीला देवी पत्नी भगवाना हिस्सा 1/3 जाति धोबी सा. देह	3231/3	1.42	बारानी 3	
7	ओमप्रकाश, गजानन्द, रामावतार, सुरेश, हरफूल पुत्र मोहन हिस्सा 5/42 राहिन कैलाश पुत्र मोहन हिस्सा 1/42 बी.आर.के.जी.बी. शाखा महरोली, तीजा पत्नि मोहन हिस्सा 1/42, गोविन्दराम, मुक्तिराम,	3215/5	0.06	चाही 2	
		3217/2	0.05	बारानी 3	
		3221[illegible]	0.08	बारानी 3	
		[illegible]	0.08	बारानी 3	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:24:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

मालीराम पुत्रगण सुवा हिस्सा 1/2 राहिन मोतीलाल पुत्र भगवाना हिस्सा 1/18 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रींगस, लोकेश पुत्र भगवाना हिस्सा 1/18 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रींगस, सुशीला देवी पत्नी भगवाना हिस्सा 1/18 बैंक ऑफ इण्डिया शाखा रींगस, हनुमान पुत्र नाथू हिस्सा 1/6 जाति धोबी सा. देह खातेदार				
योग खाता	किता– 4	0.27	बारानी–3	

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबन्दी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक–पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग–अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 2838/भू.अ./24 दिनांक 25.10.2024 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रेजात रिपोर्ट को अन्तिम डिकी का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.12.10 13:24:14 IST
Reason: SelfAttested

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)